राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2017/1747 दिनांक 15/7/17

प्रेषित :-

तहसीलदार चौहटन

विषय :- राजस्व वाद सं. 151/2014 अनवान जोगराजसिंह वगैरा बनाम महेशाराम वगैरा पारित निर्णय की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 12.07.2017 को पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :- निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास ***श्री भागीरथराम, आर.ए.एस.***

1.जोगराजसिंह 2.टीकमसिंह 3.मनोहरसिंह 4.छोटूसिंह पि.दीपसिंह 5.केकुकंवर पत्नि दीपसिंह, जाति राजपूत निवासी मते का तला, तहसील चौहटन।

बनाम

1. महेशाराम 2.पदमाराम 3.जेसाराम 4.समेलाराम 5.गाजीराम पि.मलाराम जाति मेगवाल निवाली मले का तला 6.तहसीलदार चौहटन।

वाद बाबत 188 RT Act.

मुकदमा नं. 151/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री जगदीश पोटलिया** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री** .... एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है **कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम मते का तला, तहसील चौहटन के खसरा सं. 424/174 रकबा 17.05 बीघा तथा खसरा सं. 425/174 रकबा 60.00 बीघा, कुल रकबा 77.05 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में सक्षम न्यायालय के आदेशों तक प्रतिवादी सं. 1 से 5 को वादीगण के खेत के सेढ़े तोड़कर जबरन कब्जा न करने तथा वादीगण के खातेदारी के खेत में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करने बाबत् स्थाई–निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तथा तहसीलदार चौहटन को आदेश दिया जाता है कि निर्णयानुसार पक्षकारों को पाबन्द करवाये।**............... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12/7/17 को जारी की गई।

दस्तखत.........................

मुहर

ओहदा सहायक कलक्टर चौहटन

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा दर दो ....

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 151/2014

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 188, रा.का.अ.

अनवान वादीगण – 1.जोगराजसिंह 2.टीकमसिंह 3.मनोहरसिंह
4.छोटूसिंह पि.दीपसिंह 5.केकुकंवर पत्नि दीपसिंह,
जाति राजपूत,निवासी मते का तला, तहसील चौहटन।

बनाम

प्रतिवादीगण – 1. महेशाराम के का.मु. :– रामजीराम पुत्र महेशाराम
2.पदमाराम 3.जेसाराम 4.समेलाराम
5.गाजीराम पि.मलाराम,जाति मेगवाल
निवाली मले का तला
6.तहसीलदार चौहटन।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री जगदीश पोटलिया**
प्रतिवादी वकील –

निर्णय

दिनांक :– 12/7/17

वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा मते का तला तहसील चौहटन में खसरा सं. 424/174 रकबा 17.05 बीघा तथा खसरा सं. 425/174 रकबा 60.00 बीघा, कुल रकबा 77.05 बीघा का आया हुआ है। जिसके सेढ़ा सेढ़ प्रतिवादी सं. 1 से 5 का खातेदारी का खेत आया हुआ है, जो सरहद बावड़ी के मले का तला में आया हुआ है। प्रतिवादी सं. 1 से 5 वादीगण के खेत का सेढ़ा तोड़कर जबरन कब्जा करने पर आमदा है। इसलिए वादीगण ने यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 से 5 के लिए पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 के सम्मन तामिल सुदा प्राप्त हुए। जिसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट कैम्प बावड़ीकला में दिनांक 12.07.

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

2017 को पेश हुई। वादीगण उपस्थित। वादीगण को सुना गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण प्रकरण पर अवलोकन पश्चात् स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 रा.का.अ. स्वीकार किया जाता है तथा **मते का तला, तहसील चौहटन के खसरा सं. 424/174 रकबा 17.05 बीघा तथा खसरा सं. 425/174 रकबा 60.00 बीघा, कुल रकबा 77.05 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में सक्षम न्यायालय के आदेशों तक प्रतिवादी सं. 1 से 5 को वादीगण के खेत के सेढ़े तोड़कर जबरन कब्जा न करने तथा वादीगण के खातेदारी के खेत में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करने बाबत् स्थाई–निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तथा तहसीलदार चौहटन को आदेश दिया जाता है कि निर्णयानुसार पक्षकारों को पाबन्द करवाये। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।**

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2017 को न्यायालय कैम्प बावड़ीकला मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन